भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार

सं. आर–16/(1)/2021–बी और सीएस(2) **दिनांकः 2 फरवरी, 2021**

सेवा में,

श्री अमित खरे
सचिव,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली –110001

विषयः ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पिछले पत्र और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के संबंध में भादूविप्रा का उत्तर।

संदर्भः भादूविप्रा का दिनांक 7 दिसंबर, 2020 का पत्रांक 21–4/2020–बीएंडसीएस

कृपया ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) का 23 अक्टूबर, 2020 का पत्रांक एन–45001/1/2020–डीएएस का अवलोकन करें, जिसके तहत एमआईबी ने भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1) के परंतुक के अनुसार ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर 19.11.2014 की भादूविप्रा की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था।

2. कृपया डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के पत्रांक एन–45001/1/2020–डीएएस का भी अवलोकन करें, जिसमें एमआईबी ने ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों और ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों का उल्लेख किया है। इस दूसरे पत्र के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एमएसओ द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में कुछ सिफारिशों को अपनाने और ''डीटीएच'' शब्द को ''एमएसओ'' शब्द से बदलने का प्रस्ताव किया है और भादूविप्रा से उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी राय देने का अनुरोध किया है।

3. भादूविप्रा के दिनांक 7 दिसंबर, 2020 के उपर्युक्त पत्र के अनुसार प्राधिकरण ने उपर्युक्त दोनों पत्रों पर विचार किया। इस संबंध में प्राधिकरण ने ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा की दिनांक 19.11.2014 की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के पिछले पत्र और ''डीटीएच

ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं" पर भादूविप्रा की दिनांक 13.11.2019 की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 7 दिसंबर, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया, जो इसके साथ संलग्न हैं।

5. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में उत्तर के साथ इस पत्र की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखी गई है।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह दस्तावेज मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित दस्तावेज का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह दस्तावेज मान्य होगा।